

04 जुलाई 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध:

- 26/11 के आरोपी राणा को प्रत्यर्पित किया जा सकता है: अमेरिकी अटॉन्स
- यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को वापस भेजें: जयशंकर ने लावरोव से कहा

राजव्यवस्था:

- गुजरात उच्च न्यायालय ने वडोदरा नाव दुर्घटना में राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट खारिज की:

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

आपदा प्रबंधन:

- फैक्ट्री दुर्घटनाएँ, निरीक्षण सुधार में जंग लगाने का संकेतः

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

- रूस जब तक हमें अलग नहीं कर देता? 75 साल का नाटो, एक स्थायी गठबंधनः

F. प्रीलिम्स तथ्यः

- परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन की अवधि मार्च 2025 तक बढ़ाई गईः
- मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू होने की उम्मीदः
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बोर्ड में भारतीय उद्योग की कोई उपस्थिति नहींः
- वायु प्रदूषण में वृद्धि से स्वच्छ वायु वाले शहरों में मृत्यु दर बढ़ सकती हैः अध्ययन
- भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के सत्र की मेजबानी करेगाः
- यूएफओ दिवस ने उस षड्यंत्र सिद्धांत को फिर से जगा दिया है जो खत्म होने का नाम

नहीं ले रहा है:

7. जमैका की ओर बढ़ रहे तूफान बेरिल से सात लोगों की मौतः

G. महत्वपूर्ण तथ्यः

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्नः

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्नः

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधितः

26/11 के आरोपी राणा को प्रत्यर्पित किया जा सकता हैः अमेरिकी अटॉर्नी

अंतर्राष्ट्रीय संबंधः

विषयः द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

मुख्य परीक्षा: पाकिस्तान-अमेरिका-भारत संबंध

प्रसंगः

- 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा के मामले में हाल ही में हुए घटनाक्रमों के महत्वपूर्ण कानूनी और कूटनीतिक निहितार्थ हैं। एक अमेरिकी अटॉर्नी ने तर्क दिया है कि राणा को अमेरिका-भारत प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है, यह बयान अमेरिकी अपील न्यायालय के समक्ष समापन बहस के दौरान दिया गया।

पृष्ठभूमि

- 63 वर्षीय तहव्वुर राणा वर्तमान में लॉस एंजिल्स में कैद है। उस पर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप 166 लोग मारे गए और 239 घायल हुए।
- हमलों के मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक, पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली के साथ राणा का संबंध, उसके खिलाफ मामले का मुख्य बिन्दु रहा है।

कानूनी कार्यवाही

- राणा ने मई में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर कैलिफोर्निया स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उसे भारत प्रत्यर्पित करने के अमेरिकी सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।
- सहायक अमेरिकी अटॉर्नी ब्रैम एल्डेन ने अमेरिकी अपील न्यायालय के समक्ष अपने समापन तर्क के दौरान कहा कि राणा को अमेरिका-भारत प्रत्यर्पण संधि के स्पष्ट प्रावधानों के तहत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। एल्डेन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने आतंकवादी हमलों में राणा की संलिप्तता के लिए उस पर मुकदमा चलाने के लिए संभावित कारण स्थापित किए हैं।

मुद्दे

कानूनी व्याख्या

- मुख्य कानूनी विवाद संधि के प्रावधानों की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 6-1 में नॉन-बाइस प्रावधान के इर्द-गिर्द।
- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों इसकी व्याख्या पर सहमत हुए हैं, जो उन अपराधों के अंतर्निहित आचरण के बजाय अपराध के तत्वों पर आधारित है।

दोहरे खतरे

- एल्डेन ने दोहरे खतरे पर सर्वोच्च न्यायालय की लम्बे समय से चली आ रही मिसाल का हवाला देते हुए तर्क दिया कि संधि की व्याख्या को दोहरे खतरे के सिद्धांत के अनुरूप अपराध के तत्वों पर केन्द्रित होना चाहिए।

- हालाँकि, राणा के बचाव पक्ष के वकील जॉन डी. क्लाइन ने कहा कि राणा के प्रत्यर्पण के लिए संभावित कारण का समर्थन करने वाला कोई सक्षम सबूत नहीं है।

महत्व

द्विपक्षीय संबंध

- इस मामले के नतीजे का अमेरिका-भारत संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, खासकर आतंकवाद विरोधी और कानूनी प्रत्यर्पण मामलों पर उनके सहयोग के संदर्भ में।
- राणा का सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण द्विपक्षीय संधि की ताकत और प्रभावकारिता का एक प्रमाण होगा।

न्याय और जवाबदेही

- 2008 के मुंबई हमलों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए राणा को भारत प्रत्यर्पित करना महत्वपूर्ण है।
- यह उन लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए एक मिसाल भी स्थापित करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में सहायता करते हैं और भाग लेते हैं, चाहे वे कहीं भी हों।

समाधान

कानूनी सहयोग

- सुचारू प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए भारत और अमेरिका के बीच बेहतर कानूनी सहयोग आवश्यक है।
- दोनों देशों को कानूनी अस्पष्टताओं से बचने के लिए संधि प्रावधानों की अपनी व्याख्याओं को स्पष्ट और संरेखित करना जारी रखना चाहिए।

संधियों को सुदृढ़ बनाना

- उभरती चुनौतियों और अस्पष्टताओं को कवर करने के लिए मौजूदा प्रत्यर्पण संधियों पर दोबारा विचार करना और संभवतः उन्हें मजबूत करना भविष्य के मामलों में अधिक मजबूत सहयोग सुनिश्चित कर सकता है।

- इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़े मामलों से निपटने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश शामिल हो सकते हैं।

सारांश:

- तहव्वुर राणा का मामला आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग में एक महत्वपूर्ण क्षण है। अमेरिकी अटॉर्नी का दावा है कि राणा को अमेरिका-भारत प्रत्यर्पण संधि के तहत प्रत्यर्पित किया जा सकता है, अगर अदालत द्वारा इसे बरकरार रखा जाता है, तो यह आतंकवाद का मुकाबला करने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। यह जटिल अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में कानूनी स्पष्टता और सहयोग के महत्व को रेखांकित करता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों को वापस भेजें: जयशंकर ने लावरोव से कहा

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

मुख्य परीक्षा: रूस और यूक्रेन युद्ध का भारत पर प्रभाव

प्रसंग:

- रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष ने भारत के लिए चिंताएँ बढ़ा दी हैं, खास तौर पर युद्ध क्षेत्र में काम करने के लिए भर्ती किए गए भारतीय नागरिकों के बारे में। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस पर गहरी चिंता जताई है और कजाकिस्तान के अस्ताना में एससीओ परिषद की बैठक के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।

पृष्ठभूमि:

- एससीओ परिषद की बैठक: जयशंकर और लावरोव के बीच बैठक अस्ताना में एससीओ परिषद की बैठक के दौरान हुई।
- द्विपक्षीय बैठक: यह चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रपति क्लादिमीर पुतिन के साथ वार्षिक द्विपक्षीय बैठक के लिए मास्को की निर्धारित यात्रा से पहले की गई है।

उठाए गए मुद्दे

- भारतीय नागरिकों की सुरक्षा: जयशंकर ने युद्ध क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- पारिवारिक चिंताएँ: प्रभावित व्यक्तियों के परिवार भारत सरकार पर कार्रवाई करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जो इस मुद्दे पर बढ़ते घरेलू दबाव को दर्शाता है।
- भर्ती एजेंसियाँ: कई भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर रूस में भर्ती एजेंसियों द्वारा नौकरी का झूठा वादा करके धोखा दिया गया, और उन्हें अंततः अग्रिम मोर्चे पर काम करना पड़ा।

मुद्दे

भर्ती और शोषण

- भ्रामक व्यवहार: भर्ती एजेंसियों द्वारा भारतीय नागरिकों को रूस में नौकरी के अवसरों के बारे में गुमराह किया गया।
- जबरन श्रम: कुछ लोगों को झूठे बहाने के तहत रूसी सेना के साथ काम करने के लिए मजबूर किया गया।

कूटनीतिक चुनौतियाँ

- धीमी प्रतिक्रिया: क्रेमलिन से कई बार अनुरोध करने के बावजूद, भारत सरकार अपने नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने में धीमी रही है।
- सीमित जानकारी: रूसी विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर विस्तृत प्रतिक्रिया या अपडेट प्रदान नहीं किया है।

महत्व

मानवीय चिंताएँ

- जोखिम में जीवन: संघर्ष में चार भारतीय नागरिक पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं, जो इसमें शामिल गंभीर जोखिमों को उजागर करता है।
- पारिवारिक संकट: भारत में परिवार युद्ध क्षेत्र में फंसे अपने प्रियजनों के बारे में बहुत चिंतित हैं।

राजनयिक संबंध

- द्विपक्षीय संबंध: यह स्थिति भारत-रूस संबंधों की मजबूती की परीक्षा ले रही है, तथा भारत के कूटनीतिक प्रयास भी जांच के दायरे में हैं।
- रणनीतिक निहितार्थ: इस मुद्दे का समाधान कैसे किया जाता है, इसका भारत के व्यापक रणनीतिक और भू-राजनीतिक रूख पर असर पड़ सकता है।

समाधान

कूटनीतिक प्रयास

- उच्च स्तरीय हस्तक्षेप: प्रधानमंत्री मोदी को अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन के साथ इस मुद्दे पर सीधे चर्चा करनी चाहिए।
- निरंतर संवाद: भारतीय नागरिकों की वापसी में तेजी लाने के लिए रूस के साथ निरंतर कूटनीतिक संपर्क बनाए रखना।

नीतियों को सुदृढ़ बनाना

- भर्ती को विनियमित करना: भ्रामक प्रथाओं को रोकने के लिए भर्ती एजेंसियों पर नियमों को कड़ा करना।
- सहायता प्रणालियाँ: भविष्य में ऐसी ही स्थितियों को रोकने के लिए विदेश में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए मजबूत सहायता प्रणालियाँ स्थापित करना।

सारांश:

- रूस-यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और वापसी एक गंभीर मानवीय मुद्दा है जिसके लिए तत्काल और निरंतर कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है। विदेश मंत्री एस.

जयशंकर की अपने रूसी समकक्ष के साथ बातचीत सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और विदेशों में भारतीय श्रमिकों के भविष्य के शोषण को रोकने के लिए निरंतर उच्च-स्तरीय हस्तक्षेप और रणनीतिक नीतियां आवश्यक हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

गुजरात उच्च न्यायालय ने वडोदरा नाव दुर्घटना में राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट खारिज की:

राजव्यवस्था:

विषय: उच्च न्यायालय के निर्णय

मुख्य परीक्षा: वडोदरा नाव दुर्घटना पर उच्च न्यायालय में मामला

प्रसंग:

- गुजरात उच्च न्यायालय ने वडोदरा में 18 जनवरी को हुई नाव दुर्घटना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें बारह छात्रों और दो शिक्षकों की मौत हो गई थी। अदालत ने स्पष्ट अनियमितताओं के बावजूद तत्कालीन वडोदरा नगर आयुक्त को बचाने के लिए रिपोर्ट की आलोचना करते हुए नए सिरे से जांच का आदेश दिया है।

घटना का अवलोकन

- तारीख और स्थान:** यह त्रासदी 18 जनवरी को वडोदरा शहर के हरनी क्षेत्र में मोटनाथ झील पर हुई।
- हताहत:** नाव पलटने से 12 छात्रों और दो शिक्षकों की जान चली गई।
- अनुबंध:** वडोदरा नगर निगम (VMC) ने झील के किनारे के रखरखाव और संचालन का अनुबंध एक अयोग्य फर्म कोटिया प्रोजेक्ट्स को दिया था।

न्यायालय द्वारा आलोचना

- जांच रिपोर्ट:** राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की आलोचना इस बात के लिए की गई कि इसमें पूर्व नगर आयुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया, जिन्होंने अयोग्य फर्म को ठेका दिया था।

- प्रधान सचिव: अदालत ने घटना के छह महीने बाद रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए शहरी विकास और शहरी आवास विभाग के प्रधान सचिव की आलोचना की।
- ठेकेदार की योग्यता: अदालत ने कहा कि एक आम आदमी भी देख सकता है कि ठेकेदार अयोग्य था, फिर भी रिपोर्ट में दावा किया गया कि आयुक्त ने कुछ भी गलत नहीं किया।

मुद्दे

जवाबदेही और पारदर्शिता

- अयोग्य ठेकेदार: अयोग्य फर्म को ठेका देने का निर्णय नगरपालिका प्राधिकारियों की उचित तत्परता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है।
- जांच में विलंब: जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब से पता चलता है कि इस त्रासदी से निपटने में तत्परता और गंभीरता का अभाव है।

न्यायिक हस्तक्षेप

- स्वतः संज्ञान जनहित याचिका: मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की, जो न्याय सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका का संकेत देता है।

महत्व

न्याय सुनिश्चित करना

- पीड़ित परिवार: पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए एक संपूर्ण और निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
- सार्वजनिक विश्वास: अदालत का हस्तक्षेप न्यायपालिका में जनता के विश्वास और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

प्रणालीगत सुधार

- **अनुबंध देने की प्रक्रिया:** यह घटना अनुबंध देने की प्रक्रिया में प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल योग्य और सक्षम फर्मों का चयन किया जाए।
- **सरकारी जवाबदेही:** यह मामला सरकारी जवाबदेही के महत्व और कठोर निरीक्षण तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

समाधान

नए सिरे से जाँच

- **निष्पक्ष जाँच:** घटना की नए सिरे से, निष्पक्ष जाँच करना तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह ठहराया जाए।
- **विशेषज्ञ समिति:** जाँच प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना और यह सुनिश्चित करना कि यह पारदर्शिता और निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को पूरा करती हो।

नीति सुधार

- **निगरानी को मजबूत करना:** अनुबंध प्रदान करने के लिए सख्त निगरानी तंत्र को लागू करना, जिसमें गहन पृष्ठभूमि जाँच और योग्यता सत्यापन शामिल हो।
- **पारदर्शिता के उपाय:** नगर निगमों और अन्य सरकारी निकायों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना।

सारांश:

- गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा वडोदरा नाव दुर्घटना में राज्य सरकार की जाँच रिपोर्ट को खारिज करना शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करता है। पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए एक नई, निष्पक्ष जाँच आवश्यक है। यह घटना भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए अनुबंध देने की प्रक्रिया में प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता को भी उजागर करती है। न्याय सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका लोक प्रशासन में कठोर निगरानी और जवाबदेही के महत्व की

याद दिलाती है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

फैक्ट्री दुर्घटनाएँ, निरीक्षण सुधार में जंग लगाने का संकेत:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आपदा प्रबंधन:

विषय: आपदा और आपदा प्रबंधन।

मुख्य परीक्षा: औद्योगिक आपदा।

संदर्भ:

- मई 2024 में महाराष्ट्र के डॉंबिवली में एक रासायनिक कारखाने में विस्फोट के कारण मौतें हुई, चोटें आयी और संपत्ति का नुकसान हुआ।
- महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवज़ा और धायलों के लिए उपचार निधि की घोषणा की।
- वर्ष 2016, 2018, 2020 और 2023 में लगातार औद्योगिक दुर्घटनाएँ घटित हुई हैं।
- वर्ष 2022 के निर्णय के बावजूद, डॉंबिवली MIDC में 156 रासायनिक कारखानों को पातालगंगा में स्थानांतरित नहीं किया गया।
- कारखाने में बॉयलर भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के तहत पंजीकृत नहीं था।

खराब निरीक्षण दरें:

- महाराष्ट्र (2021) में, केवल 23.89% खतरनाक कारखानों और 8.04% पंजीकृत कारखानों का निरीक्षण किया गया।

- तमिलनाडु और गुजरात में भी निरीक्षण की दर कम ही देखी गई।
- पंजीकृत कारखानों के लिए राष्ट्रब्यापी निरीक्षण दर 14.65% और खतरनाक कारखानों के लिए 26.02% थी।
- निरीक्षण की कम दर का कारण कर्मियों की कमी और निरीक्षकों पर काम का अधिक बोझ है।

निरीक्षकों का कार्यभार और अभियोजन दरें:

- महाराष्ट्र में निरीक्षकों को सालाना 818 कारखानों का; गुजरात में 589; तमिलनाडु में 532 कारखानों का निरीक्षण करना चाहिए।
- गुजरात (6.95%), महाराष्ट्र (13.84%), और तमिलनाडु (14.45%) में अभियोजन दरें कम हैं, जिससे निरीक्षणों का निवारक प्रभाव कम हो जाता है।
- भारी कार्यभार निरीक्षण प्रणाली की दक्षता को कमज़ोर करता है।

प्रभावी सुधारों की आवश्यकता:

- निरीक्षण प्रणाली की आलोचना में उत्पीड़न और रिश्वतखोरी शामिल है, लेकिन नियोक्ता प्रष्ठ आचरण में भी लिप्त हैं।
- स्व-प्रमाणन, यादृच्छिक निरीक्षण, ऑनलाइन निरीक्षण और तीसरे पक्ष का प्रमाणन, जैसा कि कई राज्यों में शुरू किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) कन्वेंशन 081 का उल्लंघन करते हैं।
- आईएलओ कन्वेंशन के अनुसार अधोषित निरीक्षण करने के लिए प्राधिकार वाले योग्य निरीक्षकों की आवश्यकता होती है।
- प्रभावी सुधारों से सुदृढ़ शासन, श्रम कानूनों का अनुपालन तथा राज्य की विफलताओं के लिए दंड प्रणाली सुनिश्चित होनी चाहिए।

सारांश:

- महाराष्ट्र में लगातार होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाएँ फैक्ट्री निरीक्षण और श्रम प्रशासन की अपर्याप्तता को उजागर करती हैं। कम निरीक्षण दर, कर्मियों की कमी और भ्रष्टाचार खतरनाक उद्योगों में प्रभावी निगरानी, सुरक्षा अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

रूस जब तक हमें अलग नहीं कर देता? 75 साल का नाटो, एक स्थायी गठबंधन:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

मुख्य परीक्षा: नाटो की प्रासंगिकता।

विवरण:

- नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, 1949 को हुई थी, जिसे शुरू में 'अटलांटिक गठबंधन' के रूप में जाना जाता था।
- संस्थापक सदस्यों में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और अन्य यूरोपीय देश शामिल थे।
- इसका उद्देश्य स्टालिन के अधीन पूर्वी और मध्य यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था।
- गठबंधन के पहले महासचिव बैरन हेस्टिंग्स 'पग' इस्मे ने इसका उद्देश्य बताया: "सोवियत संघ को बाहर रखना, अमेरिकियों को अंदर रखना और जर्मनों को नीचे रखना।"

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण:

- जून 1948 में बर्लिन नाकाबंदी और उसके बाद बर्लिन एयरलिफ्ट ने नाटो के गठन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया।

- मार्च 1948 के ब्रूसेल्स समझौते में निम्न देश शामिल थे और इसका नेतृत्व फील्ड मार्शल बर्नार्ड मॉटगोमरी ने किया था।
- लोकतांत्रिक आदर्शों के बावजूद, नाटो ने सालाजार के पुर्तगाल जैसे गैर-लोकतांत्रिक राज्यों को शामिल किया और गुप्त 'पीछे रहने वाली सेनाओं' का इस्तेमाल किया।

नाटो का विकास और चुनौतियाँ:

- मार्च 1954 में नाटो में शामिल होने के लिए सोवियत प्रस्ताव जटिल कूटनीतिक युद्धाभ्यास को उजागर करता है।
- नाटो को अपनी स्थापना से ही पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों और अमेरिका के बीच आंतरिक तनाव का सामना करना पड़ा।
- वर्ष 1947 में इनकर्क की संधि और चेकोस्लोवाकिया में सोवियत समर्थित तख्तापलट जैसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं ने नाटो के विकास को प्रभावित किया।

आधुनिक संदर्भ में नाटो:

- अफगानिस्तान में विफलताओं के बाद, रूस की आक्रामकता ने नाटो की प्रासंगिकता को पुनर्जीवित किया।
- पीटर एप्स की जीवनी, "डिटर्रिंग आमर्गेडन" और वालेस थीस की "व्हाई नाटो एंड योर्स" नाटो की दीर्घायु और चुनौतियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- एकीकरण और पारदर्शिता के प्रति नाटो की प्रतिबद्धता उसे 1939 से पूर्व के गठबंधनों से अलग करती है, जो अविश्वास और अवसरवाद से भरे हुए थे।

सारांश:

- सोवियत विस्तार को रोकने के लिए 1949 में गठित नाटो ने महत्वपूर्ण चुनौतियों और अनुकूलन का सामना किया है। आंतरिक तनाव और पिछली विफलताओं के बावजूद,

गठबंधन प्रासंगिक बना हुआ है, खासकर हाल ही में रूसी आक्रमण के जवाब में, जो वैशिक सुरक्षा गतिशीलता में इसके स्थायी महत्व को उजागर करता है।

प्रोलिम्स तथ्य:

1. परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन की अवधि मार्च 2025 तक बढ़ाई गई:

प्रसंग: केंद्र ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के तहत स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया है। जून 2015 में लॉन्च किए गए इस मिशन का उद्देश्य विभिन्न बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं के माध्यम से पूरे भारत में 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में विकसित करना है।

स्मार्ट सिटीज मिशन का अवलोकन

- लॉन्च: SCM जून 2015 में लॉन्च किया गया था।
- उद्देश्य: क्षेत्रीय विकास योजनाओं के आधार पर चयनित शहरों को मॉडल स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करना, शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं में समग्र सुधार को बढ़ावा देना।
- चयन प्रक्रिया: प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से 100 शहरों का चयन किया गया।
- परियोजनाएँ: लगभग ₹ 1.6 लाख करोड़ की लागत वाली 8,000 से अधिक बहु-क्षेत्रीय परियोजनाएँ विकसित की जा रही हैं।

प्रगति और उपलब्धियाँ

- पूर्ण परियोजनाएँ: 3 जुलाई, 2024 तक, 7,188 परियोजनाएँ (कुल का 90%) पूरी हो चुकी हैं।
- परियोजनाओं के प्रकार: परियोजनाएँ शहरी गतिशीलता, जल आपूर्ति, स्वच्छता, ऊर्जा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

मुद्दे

कार्यान्वयन चुनौतियाँ

- विलंब: नौकरशाही बाधाओं, भूमि अधिग्रहण के मुद्दों और वित्त पोषण की कमी के कारण कुछ परियोजनाओं में देरी हुई है।
- समन्वय: केंद्र और राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों और निजी भागीदारों सहित कई हितधारकों के बीच समन्वय जटिल रहा है।

वित्तीय प्रबंधन

- वित्त पोषण: परियोजनाओं की व्यापक श्रेणी के लिए पर्याप्त और समय पर वित्त पोषण सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है।
- लागत में वृद्धि: कुछ परियोजनाओं में लागत में वृद्धि हुई है, जिससे समग्र बजट और समयसीमा प्रभावित हुई है।

महत्व

शहरी विकास

- बुनियादी ढांचे में सुधार: SCM ने शहरी बुनियादी ढांचे में पर्याप्त सुधार किया है, जिससे शहर अधिक रहने योग्य और टिकाऊ बन गए हैं।
- आर्थिक विकास: उन्नत शहरी बुनियादी ढांचे में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है।

तकनीकी उन्नति

- स्मार्ट समाधान: बुद्धिमान यातायात प्रबंधन, स्मार्ट ग्रिड और ई-गवर्नेंस जैसे स्मार्ट समाधानों के कार्यान्वयन ने शहरी सेवाओं की दक्षता में सुधार किया है।
- डेटा उपयोग: मिशन ने शहरी नियोजन और प्रबंधन में डेटा एनालिटिक्स और IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) के उपयोग को बढ़ावा दिया है।

2. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का परिचालन शुरू होने की उम्मीद

प्रसंग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, 2027 के अंत तक गुजरात में परिचालन शुरू करने वाली है। इस परियोजना को नेशनल हाई

स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) द्वारा विकसित किया जा रहा है और अंततः इसे महाराष्ट्र तक विस्तारित किया जाएगा।

परियोजना विवरण

- मार्ग: रेल गलियारे की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है, जिसमें से 90% हिस्सा एलिवेटेड है।
- स्टेशन: मार्ग पर बारह स्टेशनों की पोजना बनाई गई है - गुजरात में आठ (साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरुच, सूरत, बिलिमोरा और वापी) और महाराष्ट्र में चार (बोइसर, विरार, ठाणे और मुंबई)।
- ट्रायल रन: सूरत और बिलिमोरा के बीच 50 किलोमीटर की दूरी पर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है।
- वाणिज्यिक परिचालन: 2027 के अंत तक वडोदरा और वापी के बीच शुरू होने की उम्मीद है।
- यात्रा समय: बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा के समय को तीन घंटे तक कम कर देगी, जबकि वर्तमान में सबसे तेज़ ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद वंदे भारत को यात्रा करने में साढ़े पाँच घंटे लगते हैं।

प्रगति

- पूर्णता की स्थिति: मई 2024 तक, परियोजना कुल मिलाकर 44% पूरी हो चुकी है, जिसमें से 53% काम गुजरात में और 25.6% महाराष्ट्र में किया गया है।
- निर्माण मील के पत्थर: 183 किलोमीटर वायडक्ट और 313 किलोमीटर पियर का काम पूरा हो चुका है। गुजरात में पटरियाँ बिछाने का काम शुरू हो गया है।
- भूमि अधिग्रहण: पूरे कॉरिडोर के लिए पूरा हो चुका है, जिसमें गुजरात और दादरा और नगर हवेली में 960 हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 430 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
- सुरंगें: महाराष्ट्र में भारत की पहली अंडरसी रेल सुरंग का निर्माण चल रहा है, जो 7 किलोमीटर लंबी है। पालघर में पाँच पर्वतीय सुरंगों के लिए खुदाई का काम चल रहा है।

मुद्दे

देरी और चुनौतियाँ

- प्रारंभिक समय सीमा: परियोजना को शुरू में दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन इसमें देरी हुई।

- भूमि अधिग्रहण: चुनौतियाँ, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, देरी का एक महत्वपूर्ण कारक रही हैं।
- महामारी का प्रभाव: कोविड-19 प्रतिबंधों ने प्रगति को और बाधित किया।

लागत और वित्तपोषण

- अनुमानित लागत: ₹ 1.08 लाख करोड़।
- वित्तपोषण: आधिकारिक विकास सहायता (ODA) के माध्यम से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा वित्तपोषित। अंतिम किश्त दिसंबर 2023 में 400 बिलियन जापानी येन (लगभग ₹ 22,627 करोड़) के लिए हस्ताक्षरित की गई थी।

महत्व

आर्थिक प्रभाव

- अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: इस परियोजना से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने, रोजगार सृजित होने और दो प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों के बीच संपर्क बढ़ने की उम्मीद है।
- तकनीकी उन्नति: भारत में हाई-स्पीड रेल तकनीक की शुरूआत, भविष्य की परियोजनाओं के लिए एक मिसाल कायम करेगी।

राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव

- राजनीतिक मील का पत्थर: प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के तहत एक प्रमुख पहल, जो उनके व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित है।
- सामाजिक लाभ: बेहतर यात्रा अनुभव, यात्रा का समय कम होना, और मौजूदा रेल और सड़क नेटवर्क की संभावित भीड़भाड़ कम होना।

3. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बोर्ड में भारतीय उद्योग की कोई उपस्थिति नहीं

प्रसंग: अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन(ANRF) की स्थापना भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को रणनीतिक दिशा प्रदान करने, विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। हालाँकि, हाल ही में हुए खुलासे से पता चलता है कि इसके कार्यकारी और शासी बोर्ड में भारतीय उद्योग का कोई महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं है।

ANRF बोर्ड की संरचना

- कार्यकारी और शासी बोर्ड: बोर्ड में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें प्रमुख वैज्ञानिक और शिक्षाविद शामिल हैं।
- उद्योग प्रतिनिधित्व की कमी: केवल एक उद्योगपति, भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति रोमेश वाधवानी को शामिल किया गया है।
- शैक्षणिक प्रतिनिधित्व: भारतीय विज्ञान संस्थान और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के निदेशकों तक सीमित।
- सरकारी प्रतिनिधित्व: इसमें विज्ञान और शिक्षा मंत्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoST) के तहत विभागों के सचिव शामिल हैं।

अपेक्षित उद्योग भागीदारी

- ANRF अधिनियम प्रावधान: अधिनियम में उद्योग और परोपकारी लोगों सहित गैर-सरकारी स्रोतों से महत्वपूर्ण निधि की परिकल्पना की गई है, जो इसके पांच साल के 50,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का 70% है।
- नियुक्ति का अधिकार: गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री को व्यवसायिक संगठनों या उद्योग से अधिकतम पाँच सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है।

मुद्दे

उद्योग हितधारकों की अनुपस्थिति

- वित्तपोषण संबंधी चिंताएँ: उद्योग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति वित्त पोषण और रणनीतिक योजना में उद्योग की भागीदारी और योगदान के बारे में सवाल उठाती है।
- छूटे हुए अवसर: उद्योग सहयोग से संभावित लाभ, जैसे व्यावहारिक अंतर्दृष्टि, तकनीकी प्रगति और वित्तीय निवेश, पूरी तरह से महसूस नहीं किए जाते हैं।

राज्य विश्वविद्यालयों से सीमित प्रतिनिधित्व

- व्यापक पहुँच: राज्य विश्वविद्यालयों, जिन्हें प्रमुख लाभार्थी होने की उम्मीद है, में प्रतिनिधित्व की कमी है, जो संभावित रूप से व्यापक शैक्षणिक और अनुसंधान समुदाय पर एएनआरएफ के प्रभाव को सीमित करता है।

महत्व

रणनीतिक अनुसंधान संवर्धन

- समग्र अनुसंधान दृष्टिकोण: ANRF का उद्देश्य विज्ञान, इंजीनियरिंग, आईटी, उदार कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी सहित अनुसंधान के कई क्षेत्रों को बढ़ावा देना है।
- सुधारात्मक क्षमता: एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में, ANRF कई विषयों में अनुसंधान और नवाचार में प्रगति को उत्प्रेरित कर सकता है।

आर्थिक और तकनीकी विकास

- नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र: प्रभावी उद्योग सहयोग नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ा सकता है, जिससे आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: उद्योग की बढ़ती भागीदारी भारत को वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में अग्रणी बना सकती है।

4. वायु प्रदूषण में वृद्धि से स्वच्छ वायु वाले शहरों में मृत्यु दर बढ़ सकती है: अध्ययन

प्रसंग: हाल ही में किए गए एक अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वायु प्रदूषण में वृद्धि से स्वच्छ वायु वाले भारतीय शहरों में मृत्यु दर में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, संभवतः उच्च प्रदूषण स्तर वाले शहरों की तुलना में अधिक। लैंसेट प्लैनेट हेल्थ में प्रकाशित बह-शहर विश्लेषण ने 10 भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण के अल्पकालिक जोखिम के स्वास्थ्य प्रभावों की जांच की।

मुख्य निष्कर्ष

- अध्ययन का दायरा: विश्लेषण में अहमदाबाद, बैंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी शामिल थे।
- मृत्यु दर: दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण सालाना लगभग 12,000 मौतें होती हैं, जबकि शिमला में सबसे कम 59 मौतें प्रति वर्ष होती हैं।
- प्रदूषण जोखिम: दिल्ली के निवासियों की तुलना में बैंगलुरु की आबादी को दैनिक वायु प्रदूषण जोखिम का 30% अनुभव होता है।
- पीएम 2.5 प्रभाव: अध्ययन में पाया गया कि दो दिनों में पीएम 2.5 के स्तर में हर 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की वृद्धि के लिए दैनिक मौतों में 1.42% की वृद्धि हुई।

त्रुलनात्मक विश्लेषण

- प्रदूषण के कारण मृत्यु: दिल्ली में होने वाली वार्षिक मौतों में से 11.5% वायु प्रदूषण के कारण होती हैं, जबकि बैंगलुरु में यह 4.8% है।
- वैश्विक संदर्भ: अन्य देशों में इसी तरह के अध्ययनों में मृत्यु दर में भिन्नता देखी गई, ग्रीस (2.54%), जापान (1.42%) और स्पेन (1.96%) जैसे कम आधारभूत प्रदूषण स्तर वाले देशों में मृत्यु दर अधिक देखी गई।

मुद्दे

स्वास्थ्य जोखिम

- मृत्यु दर में वृद्धि: PM 2.5 के स्तर में वृद्धि से स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न होते हैं, खासकर उन शहरों में जहां प्रदूषण का स्तर सामान्य रूप से कम है।
- भेद्यता: स्वच्छ शहरों में रहने वाली आबादी वायु प्रदूषण में अचानक वृद्धि के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है, क्योंकि आधारभूत जोखिम और अनुकूलन कम होता है।

नीति और मानक

- वर्तमान मानक: अध्ययन में पाया गया कि PM 2.5 के स्तर पर भी मृत्यु दर (2.65%) अधिक है, जो भारतीय राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम है।
- संशोधन की आवश्यकता: मौजूदा वायु गुणवत्ता मानक सार्वजनिक स्वास्थ्य की पर्याप्त सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन सीमाओं की समीक्षा और संभावित रूप से उन्हें कड़ा करने की आवश्यकता है।

महत्व

सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थ

- जागरूकता: निष्कर्ष अपेक्षाकृत स्वच्छ शहरों में भी वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।
- निवारक उपाय: प्रदूषण बढ़ने के दौरान निवारक उपायों और आपातकालीन प्रतिक्रिया रणनीतियों के महत्व पर जोर दिया गया है।

नीति निर्माण

- डेटा-संचालित नीतियाँ: अध्ययन महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है जो अधिक प्रभावी और उत्तरदायी वायु गुणवत्ता प्रबंधन नीतियों को सूचित कर सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय तुलना: अन्य देशों के साथ मृत्यु दर के जोखिमों की तुलना भारत को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और अधिक कठोर वायु गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करने में मार्गदर्शन कर सकती है।

5. भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के सत्र की मेजबानी करेगा

प्रसंग: भारत 21-31 जुलाई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करने वाला है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में 195 देशों के राज्य दलों, सलाहकार निकायों, वरिष्ठ राजनयिकों, विरासत विशेषज्ञों, विद्वानों और शोधकर्ताओं सहित 2,500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे।

यूनेस्को विश्व धरोहर समिति

- संरचना: समिति में महासभा द्वारा चुने गए 21 राज्य दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- भूमिका: समिति विश्व धरोहर सम्मेलन (1972) के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान, सुरक्षा और संरक्षण करना है।

मुद्दे

समन्वय और रसद

- बड़े पैमाने पर संगठन: इस परिमाण के आयोजन के लिए सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है।
- सुरक्षा: 195 देशों के प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि है।
- बुनियादी ढाँचा: प्रतिनिधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ और सुख-सुविधाएँ प्रदान करना और गतिविधियों के प्रवाह को निर्बाध रूप से प्रबंधित करना।

सांस्कृतिक कूटनीति

- प्रतिनिधित्व: सभी राज्य दलों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करना।

- सांस्कृतिक संवेदनशीलता: प्रतिभागियों की विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को संबोधित करना और उनका सम्मान करना।

महत्व

वैशिक मान्यता

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा: यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी भारत की वैशिक प्रतिष्ठा को बढ़ाती है और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
- पर्यटन को बढ़ावा: यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को उजागर करके पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है।

विरासत संरक्षण

- जागरूकता और वकालत: यह सत्र सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए चर्चा और वकालत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
- सहयोग: विरासत विशेषज्ञों, विद्वानों और शोधकर्ताओं के बीच सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के अवसर।

6. यूएफओ दिवस ने उस पड़यंत्र सिद्धांत को फिर से जगा दिया है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है:

संदर्भ:

- विश्व यूएफओ दिवस अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं (यूएफओ) और अन्य ग्रहों पर जीवन के प्रति दिलचस्प और स्थायी रुचि की याद दिलाता है।
- अनेक जांचों और आधिकारिक रिपोर्टों के बावजूद जो अलौकिक साक्ष्यों के अस्तित्व को खारिज करती हैं, यूएफओ के प्रति आकर्षण वैशिक स्तर पर बना हुआ है।

पृष्ठभूमि:

- रोसवेल घटना: 2 जुलाई, 1947 को, न्यू मैक्सिको के रोसवेल के पास एक अज्ञात वस्तु दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रारंभिक रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि यह एक "उड़ने वाली डिस्क" थी, लेकिन बाद में अमेरिकी सेना ने दावा किया कि यह एक मौसम गुब्बारा था।

- जांच: अमेरिकी वायु सेना की 1994 की जांच ने निष्कर्ष निकाला कि यह वस्तु संभवतः एक गुप्त सैन्य गुब्बारा था। 2021 की अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट ने 144 दृश्यों की समीक्षा की और कोई बाहरी संबंध नहीं पाया।

हाल ही में हुए घटनाक्रम:

- दावे और साक्ष्य: 2022 में, सेवानिवृत्त वायु सेना मेजर डेविड ग्रुश ने यूएफओ को पुनः प्राप्त करने और रिवर्स-इंजीनियर करने के लिए एक कथित अमेरिकी कार्यक्रम के बारे में गवाही दी। पेंटागन ने इन दावों का खंडन किया।
- मैक्सिकन कांग्रेस सत्र: सितंबर में, "गैर-मानवीय प्राणी" के रूप में प्रस्तुत की गई कथित ममियों को प्रदर्शित किया गया, जिसे बाद में मैक्सिकन शोधकर्ताओं ने खारिज कर दिया।
- नासा की भूमिका: नासा ने "अज्ञात विषम घटनाओं" के लिए अनुसंधान के निदेशक की नियुक्ति की, लेकिन अपने अध्ययनों में अलौकिक जीवन का कोई सबूत नहीं मिला।

मुद्दे:

- सार्वजनिक धारणा बनाम वैज्ञानिक साक्ष्य: अनेक अध्ययनों और रिपोर्टों द्वारा अलौकिक साक्ष्यों को नकारने के बावजूद, जनता का आकर्षण और षड्यंत्र के सिद्धांत कायम हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ: सांसद यूएफओ को देखने को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानते हैं, जिससे बेहतर डेटा संग्रह और असामान्य घटनाओं की रिपोर्टिंग को कलंकमुक्त करने की आवश्यकता है।
- दावों की विश्वसनीयता: भूतपूर्व सैन्य कर्मियों द्वारा किए गए दावों की वैधता और मैक्सिको में कथित ममियों जैसे संदिग्ध साक्ष्यों की प्रस्तुति सवाल खड़े करती है।

महत्व:

- सांस्कृतिक प्रभाव: यूएफओ का सांस्कृतिक प्रभाव महत्वपूर्ण है, जो फिल्मों, पुस्तकों और अलौकिक जीवन की संभावना के बारे में चर्चाओं को प्रेरित करता है।

- वैज्ञानिक जांच: यूएफओ के देखे जाने की निरंतर जांच मानवता की जिज्ञासा और अज्ञात को समझने की इच्छा को दर्शाती है।
- नीति और शासन: यूएफओ के देखे जाने की जांच में सरकार की भागीदारी और पारदर्शिता जनता का विश्वास बनाए रखने और संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

7. जमैका की ओर बढ़ रहे तूफान बेरिल से सात लोगों की मौत:

संदर्भ:

- श्रेणी 4 का शक्तिशाली तूफान, हरिकेन बेरिल, जमैका के लिए आसन्न खतरा बन गया है क्योंकि यह घातक हवाओं और तूफानी लहरों के साथ आया है, जिससे काफी विनाश हुआ है और लोगों की जान चली गई है।

तूफान बेरिल का अवलोकन:

- श्रेणी और ताकत: श्रेणी 4 के तूफान के रूप में वर्गीकृत, तूफान बेरिल की विशेषता निरंतर हवाओं और संभावित तूफानी लहरों से है जो गंभीर क्षति पहुंचा सकती हैं।
- प्रभाव और विनाश: तूफान ने पहले ही व्यापक विनाश किया है और जमैका की ओर बढ़ते हुए कम से कम सात लोगों की जान ले ली है।

मुद्दे और चुनौतियाँ:

- जीवन और संपत्ति के लिए जोखिम: तूफान की शक्तिशाली हवाओं और संभावित तूफानी लहरों के कारण निवासियों को जीवन-जोखिम वाली स्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे तत्काल निकासी उपायों की आवश्यकता पड़ी।

- बुनियादी ढांचे को नुकसान: श्रेणी 4 की हवाओं की विनाशकारी शक्ति इमारतों, सड़कों और उपयोगिताओं सहित बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे पुनर्प्राप्ति की चुनौतियाँ और बढ़ सकती हैं।

महत्व:

- मानवीय संकट: तूफान एक महत्वपूर्ण मानवीय संकट पैदा करता है, जिसमें लोगों की जान चली जाती है और समुदाय विस्थापित हो जाते हैं, जिसके लिए तत्काल राहत प्रयासों की आवश्यकता होती है।
- पर्यावरणीय प्रभाव: बाढ़ और तूफानी लहरों से संभावित पारिस्थितिक क्षति स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और आवासों को प्रभावित कर सकती है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) का उद्देश्य देश में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है।
- NRF विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित सभी विषयों में अनुसंधान के लिए धन मुहैया कराएगा।
- NRF विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: a

व्याख्या:

- कथन 1 सही है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है।
- कथन 2 सही है। NRF विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित कई विषयों में अनुसंधान के लिए धन मुहैया कराएगा।
- कथन 3 गलत है। एनआरएफ एक स्वायत्त निकाय है लेकिन यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन नहीं है; यह शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करता है।

प्रश्न 2. नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नाटो की स्थापना 1949 में वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
2. नाटो का प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
3. संगठन सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जो नाटो संधि के अनुच्छेद 5 में निहित है, जिसे इसके इतिहास में केवल एक बार लागू किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: d

व्याख्या:

- कथन 1 सही है। नाटो की स्थापना 1949 में वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
- कथन 2 सही है। नाटो का प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

- कथन 3 सही है। यह संगठन सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जो नाटो संधि के अनुच्छेद 5 में निहित है, जिसका उपयोग केवल एक बार, संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के जवाब में किया गया था।

प्रश्न 3. स्मार्ट सिटीज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य मुख्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और अपने नागरिकों को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना है।
2. स्मार्ट सिटीज मिशन को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
3. स्मार्ट सिटीज मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: a

व्याख्या:

- कथन 1 सही है। स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य मुख्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, अपने नागरिकों को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता प्रदान करना, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण सुनिश्चित करना और 'स्मार्ट' समाधान लागू करना है।
- कथन 2 सही है। स्मार्ट सिटीज मिशन को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- कथन 3 गलत है। स्मार्ट सिटी मिशन एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है, बल्कि एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, लेकिन इसका कार्यान्वयन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 4. ग्रह रक्षा तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ग्रह रक्षा तंत्र का प्राथमिक उद्देश्य पृथ्वी पर संभावित क्षुद्रग्रह प्रभावों का पता लगाना और उन्हें कम करना

है।

2. डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण (DART) नासा द्वारा ग्रहों की रक्षा के लिए प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के उद्देश्य से एक मिशन है।
3. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) की ग्रह रक्षा पहलों में कोई भागीदारी नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: a

व्याख्या:

- कथन 1 सही है। ग्रह रक्षा तंत्र का प्राथमिक उद्देश्य पृथ्वी पर संभावित क्षुद्रग्रह प्रभावों का पता लगाना और उन्हें कम करना है।
- कथन 2 सही है। डबल एस्ट्रोयड रीडायरेक्शन टेस्ट (DART) नासा का एक मिशन है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में क्षुद्रग्रह की गति को बदलकर ग्रहीय रक्षा के लिए प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करना है।
- कथन 3 गलत है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ग्रहीय रक्षा पहलों में शामिल है, जिसमें हेरा मिशन जैसे मिशन शामिल हैं, जिसे प्रभाव परिणामों का अध्ययन करके नासा के DART मिशन को पूरक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रश्न 5. यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यूनेस्को विश्व धरोहर समिति विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
2. समिति विश्व धरोहर कोष के उपयोग का निर्धारण करती है और राज्यों के दलों के अनुरोध पर वित्तीय सहायता आवंटित करती है।
3. समिति में 21 सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्यों की महासभा द्वारा छह वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: a

व्याख्या:

- कथन 1 सही है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति वास्तव में विश्व धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
- कथन 2 सही है। समिति विश्व धरोहर कोष के उपयोग का निर्धारण करती है और राज्यों के दलों के अनुरोध पर वित्तीय सहायता आवंटित करती है।
- कथन 3 गलत है। समिति में 21 सदस्य होते हैं, जिन्हें सदस्य राष्ट्रों की महासभा द्वारा छह वर्ष की नहीं बल्कि चार वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। इन चुनौतियों का समाधान करने के उपाय सुझाएँ और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने में मिशन की प्रभावशीलता सुनिश्चित कीजिए। (150 शब्द, 10 अंक) (सामान्य अध्ययन - I, सामाजिक मुद्दे)

प्रश्न 2. नाटो का विस्तार और मजबूती तथा अमेरिका-यूरोप की मजबूत रणनीतिक साझेदारी भारत के लिए अच्छी है। इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन - II, अंतर्राष्ट्रीय संबंध)